on such relief to owners of structures is Rs. 15.21 crores.

(c) As intimated by the State Government, the structure of the holy shrine has since been reconstructed by the local Sub-Auquaf Trust on the same design as the old shrine. Reconstruction of the Khankah by the Auquaf is in progress.

Burning of Temples and Properties of Migrants in Jammu and Kashmir

1175. SHRI JAGMOHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of vacant houses of Kashmir Pandits migrants/refugees and the number of temples burnt in the State of Jammu and Kashmir in the aftermath of the Charar-e-Sharief incident in May, 1995;

(b) the number of cases in which compensation or financial relief has provided: and

(c) what is the total amount allocated/ disbursed so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) Acccording to available information 139 houses of migrants and 27 temples were burnt/damaged by the terrorists in the aftermath of Charar-e-Sharief incident in May 1995.

(b) and (c): In all such cases ex-gratia relief is being given at the rate of 50% of the damage to immovable property subject to ceiling of Rs. 1 lac to facilitate repairs etc.

कश्मीर में नेशनल राइफ़ल्स

1176. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर में सैन्य कमान के अधीन नेशनल राइफल्स के दस्तों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी कुछ मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है/करने का विचार रखती है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी हां, श्रीमान् राष्ट्रीय राइफल्स के कार्मिकों द्वारा मानवाधिकार के उल्लघंन के आरोपों के 6 मामले आए हैं।

(ख) और (ग) (i) 26.11.92 को एक राष्ट्र-विरोधी तत्व की हिरासत में हुई कथित मौत के मामले में एक अधिकारी को कदाचार का दोषी पाया गया था यद्यपि मौत की वजह, जांच न्यायालय द्वारा "शारीरिक प्रताड़ना" नहीं पाई गई। अधिकारी पर जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा मुकद्मा चलाया गया जिसने उसे "कठोर फटकार" का दण्ड दिया।

(ii) 21.3.94 को "रोड ओपिनिंग ड्यूटी" के समय जांच के दौरान एक जवान के हाथों एक ट्रक ड्राइवर, दुर्घटनावश मारा गया था। सेना द्वारा जांच पड़ताल की गई थी। प्रभारी अधिकारी और जवान दोनों को ही दण्डित किया गया था, प्रभारी अधिकारी को परिनिन्दा का और जवान को तीन महीने के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया था।

(iii) 15/16 मई, 1994 को बलात्कार की एक घटना में दो जवानों को दोषी पाया गया और उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी तथा सेना से बर्खास्त कर दिया गया था।

(iv) इस आरोप, कि 10 से 12 जनवरी, 1995 तक पुलवामा जिले के लुराओ गांव में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान एक महिला के साथ बलात्कार किया गया था और दो लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई, अनाज का एक भंडार तथा 30-40 मकान जला दिए गए थे और एक दुकान लूट ली गई थी, के संबंध में एक कोर्ट आफ इन्क्वाइरी बैठाई गई थी। कोर्ट आफ इन्क्वाइरी ने दो अधिकारियों तथा दो जवानों को दोषी ठहराया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। जवानों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है।